


न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासन अधिकाारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - कपासन)

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प.सं. 5.18/25 दायर दिनांक 02/10/25 निर्णय दिनांक 02/10/25



क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	कुलकर्णी	179	महोदय जी, निवेदन है कि मुगाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		तहसीलदार कपासन की अनुशंखा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कपासन</u> प.ह. <u>कपासन</u> खतासं. <u>179</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
वर्तमान प्रविष्टी			शुद्ध प्रविष्टी		
स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर			स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया		
हस्ताक्षर-पदवारी			हस्ताक्षर-गिरदीवार	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
पदवारी <u>कपासन</u>					

प्रतिलिपि पालनाथ:-  
पदवार कपासन चित्तौड़गढ़

1. पदवारी पदवार भण्डल ..... को भेजवार लेख है कि आदेश कपासन (उपखण्ड अधिकारी) कपासन (उपखण्ड अधिकारी) जिला-चित्तौड़गढ़ में अमलदरामदसंकास जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन  
तहसीलदार (प.अ.) कपासन